प्रार्थना पत्र संख्याः– 97 / 2019
रामकुमार बनाम नरेश आदि
निर्णय दिनांकः– 24–05–2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान,आर.ए.एस

राजस्व वाद स. 97 / 2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2019 / 00891

रामकुमार पुत्र श्री शिवनाथ उम्र 79 साल जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.... आवेदक

– बनाम –

1. नरेश पुत्र अमीलाल
2. शेरसिंह पुत्र अमीलाल जातिगण अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. संतोष पुत्री अमीलाल पत्नि कंवरसिंह जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) हाल आबाद निहालोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. सावित्री पुत्री अमीलाल पत्नि मुन्शी जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) हाल आबाद सातड़िया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
5. अभयसिंह पुत्र मुरारीलाल जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
6. फूला पुत्री जोखीराम जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
7. बनारसी देवी पत्नि मानसिंह जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
8. रामबीर पुत्र मानसिंह जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
9. लालचन्द पुत्र जोखीराम जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
10. मालाराम
11. शेरसिंह ... तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
12. सुभाष पुत्रान डेडाराम जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) (मृत)
13. श्रवण पत्नि डेडाराम जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.07.12 13:26:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

14. गुरूदयाल पुत्र जीवण
15. फूलचन्द पुत्र जीवण जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)**(फौत)**
    15 / 1. मिश्रो देवी पत्नी फूलचन्द
    15 / 2. पूर्णमल पुत्र फूलचन्द
    15 / 3. प्रेम पुत्री फूलचन्द
    15 / 4. सरोज पुत्री फूलचन्द
    15 / 5. गुड्डी पुत्री फूलचन्द
    15 / 6.सविता पुत्री फूलचन्द समस्त जाति अहीर निवासीगण माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
16. घीसाराम
17. रोहताश पुत्रान बनवारीलाल जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज)
18. रेवती पुत्री बनवासरीलाल जाति अहीर निवासी माजरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
19. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा पचेरी कंला हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पचेरी कंला जरिये शाखा प्रबन्धक
20. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कंला जरिये शाखा प्रबन्धक
21. लैण्ड होल्डर नायब तहसीलदार सिंघाना / तहसीलदार बुहाना

.... **अनावेदकगण**

<u>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी</u>

धारा – 111 सपठित धारा 128 लैण्ड रेन्वयू एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.07.12 13:26:09 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता आवेदक की ओर से ।
2. अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री विजयपाल अधिवक्ता तथा शेष के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक — 24—05—2022

आवेदक की ओर से हस्तगत आवेदन पत्र बाबत पत्थरगढी इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि:—

1. वाके ग्राम माजरी तहसील बुहाना स्थित भूमी ख.न. 514 रकबा 0.63 हैक्टर का खातेदार आवेदक है एवं अपनी भूमि पर काबिज कास्त है तथा अपनी खातेदारी की इस भूमि का तहसीलदार बुहाना के आदेश से दिनांक 12.06.2019 को सीमाज्ञान भी करवा लिया है।
2. यह कि आवेदक की भूमि ख.न. 514 के पश्चिम में ख.न. 513 की भूमि है जिसके खातेदार अनावेदक सं. 1 लगायत 4 है तथा पूर्व की तरफ स्थित भूमि ख.न. 515 जिसका विभाजन हो चुका है आवेदक की भूमि के सटती हुई भूमि के ख.न. 680/515 है जिसके खातेदार अनावेदक सं. 14 लगायत 18 है तथा आवेदक की भूमि के उत्तर में ख.न. 517 व ख.न. 518 स्थित है ख.न. 517 के खातेदार अनावेदक सं. 10 लगायत 13 है तथा ख.न. 518 के खातेदार अनावेदक सं. 5 लगायत 9 है तथा आवेदक की भूमि ख.न. 514 के दक्षिण में डूमोली खुर्द की राजस्व सीमा है जिस पर पुख्ता सीमा बनी हुई है इस प्रकार आवेदक की भूमि के चारों तरफ के खातेदार अनावेदक सं. 1 लगायत 18 है।
3. यह कि आवदक की भूमि ख.न. 514 का सीमाज्ञान करवाने के बावजूद अनावेदकगण 1 लगायत 18 आवेदक की भूमि की सीमाएं कायम नही रहने देते है तथा सीमा विवाद पैदा करते है पुख्ता सीमा चिन्ह कायम नही करने देते है एवं सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2019 के अनुसार सीमाओ को कायम नही रहने देते इसलिए आवेदक के लिये आवश्यक हुआ है कि वह सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए अपनी खातेदारी की भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाये।
4. यह कि आवेदक ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान [illegible] लिया है तथा आवेदक की भूमि के सटती हुई भूमि के सभी खातेदारों को पक्षकार [illegible] गया है।
5. यह कि आवेदन पत्र के लिए [illegible] भूमि ख.न. 514 आवेदक की खातेदारी भूमि होने तथा आवेदक द्वारा दिनांक 12.06.2019 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.07.12 13:26:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

लेना व अनावेदकगण द्वारा सीमा चिन्ह को कायम नही करने देंने एवं सीमा विवाद पैदा करने से पैदा हुआ हैं अतः यह आवेदन पत्र अन्दर मियाद हैं।

6. यह कि आवेदन पत्र में वर्णित भूमी वाके ग्राम माजरी मे स्थित होने एवं आवेदक की खातेदारी की भूमी होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।

7. यह कि आवेदन पत्र 2/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।

8. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र पेशे हैं।

अतः आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक की भूमि ख.न. 514 रकबा 0.63 हैक्टर स्थित ग्राम माजरी की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2019 के अनुसार पत्थर गढी करवाये जाने का आदेश दिया जाकर सीमा चिन्ह कायम करने का आदेश तहसीलदार बुहाना / नायब तहसीलदार सिंघाना को दिये जाने की कृपा करे अथवा तहसीलदार / नायब तहसीलदार को आदेशित किया जावे कि वह पुनः सीमाज्ञान कर आवेदक की भूमि के पुलिस इमदाद से पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करे।

आवेदन पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से जवाब आवेदन पत्र निम्न तथ्य के साथ पेश किया कि:–

1. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 1 गलत है स्वीकार नही है हाल ख.न. 513 रकबा 0.62 ळै ख.न. 514 रकबा 0.63 है. प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के पिताजी अमीलाल की संयुक्त खातेदारी का है आवेदक ने अनावेदकगण सं. 1लगायत 4 के पिताजी अमीलाल की बिना जानकारी के अपने नाम खाता अलग करा लिया जो गलत कराया है जिसके विरूद्व अनावेदकगण ने न्यायालय श्रीमानजी में वाद घोषणात्मक व खाता विभाजन हेतु एक वाद उनवानी शेरसिंह आदि बनाम रामकुमार मु.नं. पेश कर रखा है जिसमें आज की तारीख पेशी नियत है।

2. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 2 गलत है स्वीकार नही है खसरा नं. 513 व 514 आवेदक व अनावेदक सं. 1 लगायत 4 के पिताजी स्व. अमीलाल जी की संयुक्त खातेदारी का है। इस दोनों का विधिवत विभाजन नही हुआ है बन्दोबस्त विभाग में आवेदक ने बाला बाला खाता विभाजन कराया है। बन्दोबस्त विभाग को खातेदारों का खाता विभाजन करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। बन्दोबस्त विभाग तो पुराने रिकार्ड जो बीघा व बिस्वा में था उसे मैट्रिक प्रणाली के आधार पर हैक्टर व ऐयर में करने का है। अब अनावेदकगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.07.12 13:26:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सं. 1 लगायत 4 ने वाद घोषणात्मक व खाता विभाजन हेतु उनवानी शेरसिंह आदि बनाम रामकुमार प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें भी आज की तारीख पेशी है।

3. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 3 गलत है स्वीकार नही है। अनावेदक सं. 1 लगायत 4 को उक्त तथा कथित सीमाज्ञान की कोई जानकारी नही है और ना ही उनकी उपस्थित में किसी प्रकार का सीमाज्ञान हुआ है। जब दोनों ख.न. 513, 514 का विधिवत विभाजन नही हुआ तब पत्थरगढी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। पहले वाद घोषणात्मक व खाता विभाजन का निर्णय न्यायालय श्रीमानजी में होने के बाद ही अलग रिकार्ड कायम होने की कार्यवाही होगी।

4. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 4 गलत है स्वीकार नही है।

5. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 5 गलत है स्वीकार नही है। दिनांक 12.06.2019 की सीमाज्ञान की कार्यवाही का अनावेदकगण 1 लगायत 4 को कोई ज्ञान नही है ना ही अनावेदक सं. 1 लगायत 4 को सूचित किया गया।

6. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 6 गलत है स्वीकार नही है।

7. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 7 न्यायालय शुल्क का है उत्तर की आवश्यकता नही है।

8. यह कि आवेदन पत्र का खण्ड नं. 8 गलत है स्वीकार नही है।

<u>अतिरिक्त उत्तर –</u>

9. यह कि आवेदक का आवेदन पत्र आधारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य हैं क्येकि विवादित भूमि के लिए वाद घोषणात्मक व खाता विभाजन उनवानी शेरसिंह आदि बनाम रामकुमार मु. नं. ....न्यायालय में विचाराधीन है क्योकि ख.न. 513 व 514 गत ख.न. से बना है जो अमीलाल अनावेदक सं. 1 लगायत 4 के पिता व रामकुमार आवेदक की शामिल खातेदारी का रहा है। भू-प्रबन्ध विभाग [illegible] खाता विभाजन करने का कोई अधिकार नही था जो कार्यवाही आवेदक [illegible] कराई है वह गलत है। अब इसे अनावेदकगण दुरूस्त करा रहे है। अतः [illegible] पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.07.12 13:26:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई आवेदकगण को सुना गया राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया आवेदक भूमि ख.न. 514 का एकांकी खातेदार है सीमाज्ञान भी करवा चुका है इसलिए सीमा विवाद का स्थाई समाधान किये जाने हेतू आवेदकगण अपनी भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करवाने के अधिकारी है।

–:आदेश:–

न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम माजरी स्थित भूमि ख.न.514 रकबा 0.63 है. का का सीमाज्ञान के सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थी के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24–05–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.07.12 13:26:09 IST
Reason: SelfAttested